

# समाहरणालय, पटना ।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र-VI

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

## अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

पत्रांक-.....

दिनांक.....

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु मौजा- बीबीपुर, थाना सं०- 74, अंचल-फतुहा, थाना-फतुहा, जिला- पटना में कुल 3.56 एकड़ भूमि अपेक्षित है।


इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधिन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 3.56 एकड़ है और जो मौजा- बीबीपुर, थाना सं०-74, अंचल-फतुहा, थाना-फतुहा, जिला- पटना में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (चौहद्दी)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	216	35	रैयती	कृषि	0.27	श्रीमति कमला देवी पति रविन्द्र नाथ सिंह, सा०-सैदनपुर	35 अंश	37 अंश	मौजा सैदनपुर का सिमाना	36 अंश
2	216	36	रैयती	कृषि	0.57	1) श्री शिववचन सिंह पिता स्व० वैकुण्ठ सिंह, 2) श्री रविन्द्र नाथ सिंह पिता श्री रामविलास सिंह, सभी सा०- सैदनपुर	36 अंश	37 अंश	35 अंश	मौजा रबियाचक का सिमाना
3	212	37	रैयती	कृषि	1.54	1) श्री वीर कुमार सिंह पिता प्रहलाद सिंह 2) श्री रविन्द्र नाथ सिंह पिता श्री रामविलास सिंह, सभी सा०- सैदनपुर	35 अंश, 36 अंश	38 अंश, 39 अंश	मौजा सैदनपुर का सिमाना	मौजा रबियाचक का सिमाना
4	219	38	रैयती	कृषि	0.37	श्री रणवीर कुमार सिंह पिता स्व० चन्देश्वर सिंह, सा०- सैदनपुर	37 अंश	38 अंश	39 अंश, 40 अंश	मौजा रबियाचक का सिमाना
5	219	39	रैयती	कृषि	0.39	श्रीमति कपुरनी देवी पति फिरंगी सिंह, सा०- सैदनपुर	37 अंश	40 अंश	मौजा सैदनपुर का सिमाना	38 अंश
6	214	40	रैयती	कृषि	0.42	श्री ध्रुव नारायण सिंह पिता स्व० किशोरी सिंह, सा०- सैदनपुर	38 अंश, 39 अंश	40 अंश, 42 पूर्ण	मौजा सैदनपुर का सिमाना	38 अंश

he

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपतियों के सुनने और अधिनियम सं०-३०/२०१३ की धारा १५ में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है।


उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं। जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

  
समाहर्ता,  
पटना।

ज्ञापांक सं०-२१५०

दिनांक: १२/१२/१६

1. प्रतिलिपि:- तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदा०, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की ५-५ प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

  
समाहर्ता,  
पटना